न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 75 / 2018 / बाड़मेर

अपीलांट

1. उदाराम पुत्र बागाराम का.मु.
   1/1सवाईलाल पुत्र उदाराम
   1/2वीराराम पुत्र उदाराम
   1/3राजूराम उर्फ दीपाराम पुत्र उदाराम
   1/4किशनलाल पुत्र उदाराम
   1/5अचलाराम पुत्र उदाराम
   1/6अणदी पत्नी उदाराम
2. तुलसाराम पुत्र बागाराम
3. निम्बाराम पुत्र बागाराम का.मु.
   3/1सवाई पुत्र निम्बाराम
   3/2नखता पुत्र निम्बाराम
   3/3अगरा पुत्र निम्बाराम
   3/4पप्पू पत्नी निम्बाराम
   अपीलांट संख्या 3/2 व 3/3 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता पप्पू पत्नी निम्बाराम जाति माली निवासी सर का पार बांदरा तहसील व जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाड़मेर।
2.फर्टीलाईजर ऑफ इण्डिया कम्पनी जरिये प्रबन्ध उतरलाई कवास तहसील व जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 09/2003 बअनवान उदाराम वगैरा बनाम राजस्थान राज्य वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 29.05.2018 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री डूंगरसिंह महेचा अपीलान्ट की ओर से।
2. राजकीय अभिभाषक श्री हाजीखां रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से।
3. वकील श्री सुनिल बी. एल. रामावत रेस्पोडेंट संख्या 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 06.02.2020

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा बांदरा में उसकी खातेदारी में खसरा संख्या 768 रकबा 02 बिस्वा भूमि गैर मुमकिन ढाणी गत बंदोबस्त में अंकित हुई। इसी ग्राम में स्थित खसरा संख्या 769 रकबा 06.10 बीघा भूमि गैर मुमकिन अंकित की गई, जिस पर काश्त व कब्जा गत बंदोबस्त से आज तक वादीगण व उनके पिता बागाराम का चला आ रहा है। वादग्रस्त खसरा संख्या 769 की किस्म राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन खडी अंकित की गई है जो गत बंदोबस्त की भूल है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के वाद को दिनांक 29.05.2018 को कैम्प कोर्ट बांदरा में रखने बाबत कोई सूचना अपीलांट या उनके अधिवक्ता को नहीं दी जिस कारण अपीलांट व

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

उनके अधिवक्ता कैम्प कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकें तथा अपीलांट व उनके अधिवक्ता कैम्प कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकें। अपीलांटगण की अनुपस्थिति में पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन प्रकरण की मूल पत्रावली का अच्छी तरह अवलोकन करने से साबित है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि द्वारा निर्धारित किसी भी कानूनी प्रक्रिया का पालन न कर अपनी मनमर्जी से उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है। राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 में वे ही मामले निस्तारित किये जाते है जिसमें दोनों पक्षकार पूर्ण रूप से सहमत हो तथा प्रकरण को निस्तारण करवाने हेतु लिखित में राजीनामा पेश करें, परन्तु हस्तगत प्रकरण में किसी प्रकार के राजीनाम पेश नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के मौके की स्थिति के बारे में कोई मौका रिपोर्ट तलब नहीं की गई तथा न ही स्वयं द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया तथा वादीगण ने अवश्य मौका रिपोर्ट हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया परन्तु उक्त मौका रिपोर्ट के आवेदन पर गौर किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में अपने लक्ष्य की पूर्ति हेतु आलोच्य निर्णय पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने में किसी प्रकार की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत पारित नहीं किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांट की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि खसरा संख्या 768 गैर मुमकिन ढाणी, खसरा संख्या 769 एफ सी आई के नाम दर्ज है। प्रदर्श 4 के अनुसार उदाराम ने वादग्रस्त भूमि जागीरदारों से ली थी। एफ सी आई ने कुछ काश्तकारों की भूमि वापिस राज्य सरकार के नाम समर्पण की है तथा जिला कलक्टर बाड़मेर ने खातेदारों के नाम दर्ज करने के आदेश दिये है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के वाद को दिनांक 29.05.2018 को कैम्प कोर्ट बांदरा में रखने बाबत कोई सूचना अपीलांट या उनके अधिवक्ता को नहीं दी जिस कारण अपीलांट व उनके अधिवक्ता कैम्प कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकें तथा अपीलांट व उनके अधिवक्ता कैम्प कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकें। अपीलांटगण की अनुपस्थिति में पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन प्रकरण की मूल पत्रावली का अच्छी तरह अवलोकन करने से साबित है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि द्वारा निर्धारित किसी भी कानूनी प्रक्रिया का पालन

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

न कर अपनी मनमर्जी से उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है। राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 में वे ही मामले निस्तारित किये जाते है जिसमें दोनों पक्षकार पूर्ण रूप से सहमत हो तथा प्रकरण को निस्तारण करवाने हेतु लिखित में राजीनामा पेश करें, परन्तु हस्तगत प्रकरण में किसी प्रकार के राजीनाम पेश नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के मौके की स्थिति के बारे में कोई मौका रिपोर्ट तलब नहीं की गई तथा न ही स्वयं द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया तथा वादीगण ने अवश्य मौका रिपोर्ट हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया परन्तु उक्त मौका रिपोर्ट के आवेदन पर गौर किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में अपने लक्ष्य की पूर्ति हेतु आलोच्य निर्णय पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने में किसी प्रकार की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए बताया कि एफ सी आई कम्पनी ने वादग्रस्त भूमि को लेकर अनापति प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया है। भूमि अवाप्त सुदा है जो अभी भी कम्पनी के कब्जे में है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 02 ने अपनी बहस में बताया कि खसरा संख्या 768 की भूमि बागाराम की थी जो नामांतकरण संख्या 50 के तहत उनके वारिशों के नाम दर्ज हुई। खसरा संख्या 769 वक्त सेटलमेंट से खडडी में दर्ज है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी मुआवजा देकर अवाप्त की गयी है। खसरा संख्या 769 में जिप्सम निकल रही है इसलिए वादग्रस्त भूमि की आवश्यकता है। अपीलांट द्वारा जो दस्तावेज न्यायालय हाजा में पेश किये गये है वो अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये जाने थे। अपीलांट द्वारा पेश अपील आधारहीन है जिसका कोई विधि सम्मत आधार नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मय खर्चा खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि हस्तगत प्रकरण की पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट मुख्यालय बांदरा में सुनवाई हेतु रखी। इस बाबत अलग से न तो सूचना थी न ही अपीलांट को कोई नोटिस दिया। अपीलांट की गैर हाजरी में निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। न्यायालय हाजा द्वारा वादग्रस्त आराजी की मौका रिपोर्ट तलब की गई जिसमें स्पष्ट प्रतिवेदित है। **मौका फर्द दिनांक 14.12.2019 में अंकित है कि खसरा**

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

संख्या 769 में वर्तमान में किसी प्रकार जिप्सम खडी या किसी अन्य खनिज का उत्खनन इत्यादि नहीं हो रहा है। बंदोबस्त के समय से ही खसरा संख्या 769 जाव बेरी बागा वाली अपीलांट/वादी के नाम दर्ज है। इससे जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी मौके पर अपीलांट के कब्जा सुदा है। अपीलांट/वादी को अपने वाद का अभिवचन करने का पूर्ण अधिकार है और उसे इससे वंचित करना न्यायसंगत नहीं ठहरता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन नहीं किया गया। न तो वाद में तनकीयात कायम की गई है और न उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली गई है तथा निर्णय भी एकतरफा पारित किया गया है। अपीलांट/वादी को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांट की अपील को वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित समझता हूँ।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 09/2003 बअनवान उदाराम वगैरा बनाम राजस्थान राज्य वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 29.05.2018 को निरस्त कर मामला इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण के द्वारा प्रस्तुत वाद में तनकीयात कायम कर, उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली जाकर बाद समुचित सुनवाई गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

06/2/20

(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 06.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06/2/20

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner